डाक व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम.पी. बि. पू. प्र./04 भोपाल-2001.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन एम.पी. 108/भोपाल/2001.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 424] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 जुलाई 2001—आषाढ़ 21, शक 1923

तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2001

क्र. एफ 49-बयालीस-1-2001.—शासकीय पोलीटेक्निकों के प्रबंधन में जनभागीदारी की दृष्टि से शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :—

(क) शासकीय पोलीटेक्निकों में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिये उनके स्थानीय प्रबंधन को एक समिति को सौंपा जाएगा. यह समिति "मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973" के अन्तर्गत पंजीकृत की जाएगी.

(ख) इस समिति को यह अधिकार होगा कि यह पोलीटेक्निकों में दी जाने वाली शिक्षा के विकास के लिये स्थानीय नागरिकों से स्वैच्छिक रूप से संसाधन एकत्रित करें, विभिन्न गतिविधियों पर फीस लगाएं या बढ़ाएं और कन्सल्टेंसी आदि से धन एकत्रित करें. इन संसाधनों का उपयोग यह समिति पोलीटेक्निक की विभिन्न गतिविधियों के लिये कर सकेगी. समिति जन सहयोग के जरिये पोलिटेकनिक में अच्छा बौद्धिक वातावरण बनाने में सहायक होगी.

(ग) समिति के कार्यकलापों का प्रबंधन सामान्य परिषद् के निर्देश एवं नियंत्रण में किया जावेगा. यह समिति की सर्वोच्च सभा होगी. इस सभा का अध्यक्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त किया जायेगा. राज्य शासन संबंधित नगर निगम/नगर पालिका/जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के सदस्य, विधायक अथवा सांसद में से किसी को अध्यक्ष नियुक्त करेगा. सामान्य परिषद् का उपाध्यक्ष कलेक्टर अथवा उनका प्रतिनिधि होगा. सामान्य परिषद् में विधायक/सांसद अथवा उनके नामजद प्रतिनिधि सदस्य होंगे.

इस परिषद् में मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा के उत्पाद का उपयोग करने वाले स्थानीय संगठन, उद्योग, अभिभावक, पूर्व विद्यार्थियों, स्थानीय संस्थाओं, दान-दाताओं, कृषकों आदि के प्रतिनिधि सदस्य होंगे. सामान्य परिषद् में अभिभावकों एवं पूर्व छात्रों के दो-दो प्रतिनिधि होंगे.

(401)

(2)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग में से प्रत्येक उस वर्ग का एक अभिभावक, जिसके कोई सदस्य उ. श्रेणियों में न आये हों, परिषद् का सदस्य नामांकित किया जायेगा.

परिषद् में एक महिला अभिभावक को सदस्य नामांकित किया जायेगा यदि अन्य किसी श्रेणी में महिला न आई हो.

दानदाताओं के प्रतिनिधि का नामांकन निम्नलिखित मापदण्ड के आधार पर दानदाताओं में से किया जाएगा :—

1. दस हजार से कम आबादी वाले क्षेत्रों द्वारा पचास हजार रुपये से अधिक दान देने वालों में से;

2. दस हजार से पचास हजार तक की आबादी वाले स्थान में रुपये दो लाख से अधिक दान देने वालों में से;

3. पचास हजार से एक लाख तक की आबादी वाले क्षेत्रों में, रुपये दो लाख पचास हजार से अधिक दान देने वालों में से

4. एक लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में तीन लाख रुपये अथवा इससे अधिक दान देने वालों में से. सामान्य परि में नामजद किये जाने वाले प्रतिनिधि, अध्यक्ष द्वारा नामजद किये जायेंगे. पोलीटेक्निक के प्राचार्य इस समिति सदस्य-सचिव होंगे.

साधारणतः सामान्य परिषद् की बैठक वर्ष में दो बार होगी. आवश्यकतानुसार परिषद् की विशेष बैठक भी बुलाई जा सके परिषद् नीति निर्धारण के साथ, पोलीटेक्निक की गतिविधियों की सामान्य रूप से देखरेख करेगी. परिषद् के का कलापों की प्रक्रिया विस्तृत रूप से निर्धारित कर दी गई है ताकि परिषद् के संचालन में किसी प्रकार की कठि न हो.

(घ) सामान्य परिषद् के अतिरिक्त के कार्य-कलापों के समुचित प्रबंधन के लिये प्रबंध समिति एवं वित्त समिति भी होंगी.

(ङ) प्रबंध समिति : प्रबंध समिति सभी प्रबंध संबंधी मामलों के लिये जिम्मेदार होगी तथा सामान्य परिषद् का अध्यक्ष ही इस समिति का भी अध्यक्ष होगा. जिला मुख्यालय में स्थित पोलीटेक्निकों में जिलाध्यक्ष एवं अन्य पोलीटेक्निकों में संच तकनीकी शिक्षा द्वारा मनोनीत शिक्षा शास्त्री उपाध्यक्ष होंगे. पोलीटेक्निकों के प्राचार्य सदस्य-सचिव होंगे. लोक नि विभाग के स्थानीय कार्यालय के प्रमुख, पोलीटेक्निकों के दो शिक्षक, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रति दानदाताओं, एक अशासकीय संगठन तथा स्थानीय औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे. प्रबंध समि बैठक आवश्यकतानुसार होगी किन्तु तीन माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी.

(च) वित्त समिति : वित्त समिति के अध्यक्ष प्राचार्य होंगे. बैंकिंग/वित्तीय कार्य में अनुभवी व्यक्ति, पोलीटेक्निक के दो शिक्षक, संबंधित कोषालय अधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत उप कोषालय अधिकारी इस समिति के सदस्य होंगे समिति पोलिटेकनिक में वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के कार्य में सहायता करेगी.

(छ) वित्त समिति द्वारा स्थानीय रूप से एकत्रित किये गये वित्तीय संसाधनों को किसी अनुसूचित बैंक में समिति की नि रूप में रखा जायेगा. इस निधि का व्यय समिति द्वारा स्वयं निर्धारित नियम प्रक्रिया के अनुसार पोलीटेक्निक की अधो के विकास के लिये किया जायेगा. संस्था की निधि का लेखा परीक्षण सामान्य परिषद् के द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अ द्वारा प्रतिवर्ष किया जायेगा. पोलीटेक्निकों को राज्य शासन से प्राप्त सभी राशियों की व्यय व्यवस्था एवं लेखा तथा अंकेक्षण शासकीय नियमानुसार होगा.

समिति की निधि का उपयोग पोलीटेक्निक के विकास के लिये किया जायेगा, रोशल मेंटरिंग, निर्वाचन, स्वागत, विज्ञापन अकादमिक गतिविधियों के लिये नहीं किया जाएगा. समिति की निधि के उपयोग के लिये नियम बनाये जा

समिति द्वारा निर्धारित शुल्क में वृद्धि की जा सकेगी तथा समिति नये शुल्क भी लगा सकेगी और आय वृद्धि के अन्य कर सकेगी. ये सभी अतिरिक्त आय समिति की निधि में सम्मिलित की जायेंगी.

(इ) समिति अपने कार्य के लिये कोई स्टाफ नियुक्त नहीं करेगी. पोलीटेक्निकों के किसी एक कर्मचारी को ही समिति की राशि में से मानदेय देकर अपना कार्य संचालन करेगी.

(ई) पोलिटेक्निक के प्राचार्य एवं पोलीटेक्निक के सभी शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्तियां राज्य शासन द्वारा शासकीय पोलीटेक्निकों के विद्यमान स्टाफ में से वर्तमान नियमों के अनुसार की जावेंगी. भविष्य में ये अधिकार उन समितियों को दिये जायेंगे जिनकी उपलब्धियां उल्लेखनीय होंगी. परन्तु शासन की अनुमति के बिना किसी नये पद का निर्माण नहीं किया जा सकेगा.

(य) मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अतिरिक्त यदि शासन चाहेगा तो समिति की जांच करा सकेगा व ऐसा निर्देश दे सकेगा जैसा शासन उपयुक्त समझता है.

(द) यह व्यवस्था प्रदेश के समस्त शासकीय पोलीटेक्निकों में लागू की जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. दुबे, उपसचिव.

समिति का ज्ञापन

1. समिति का नाम ..... होगा.

2. समिति का पंजीयित कार्यालय ..... में होगा.

3. समिति की स्थापना का उद्देश्य ..... पोलीटेक्निक में दी जाने वाली शिक्षा के विकास के लिये स्थानीय नागरिकों से स्वैच्छिक रूप से संसाधन एकत्रित करना, विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं विषयों के आयोजन के लिये शुल्क लगाना/बढ़ाना और कन्सलटेन्सी आदि से धन एकत्रित करना. इस प्रकार जुटाये गये संसाधनों का उपयोग जन सहयोग के जरिये पोली. में अच्छा बौधिक वातावरण बनाने के लिये करना.

4. समिति के प्रबंध नियमों द्वारा समिति के कार्यों का प्रबंध *शासक परिषद् संचालकों, सभा या शासी-निकाय को सौंपा गया है. जिनके नाम, पते तथा धन्धों का उल्लेख निम्नांकित हैं :—

क्र.	नाम पिता/पति का नाम	पद	पूर्ण पता	धन्धा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.	समिति के सामान्य परिषद् अथवा प्रबंध समिति में से कोई भी सात पदाधिकारियों के नाम व अन्य विवरण अंकित करें.			
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

5. समिति के इस ज्ञापन-पत्र के साथ समिति के नियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 973 (1973 का 44) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है.

हम, अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन-पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा

ज्ञापन-पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं :—

क्र. (1)	निर्माणकर्ताओं के नाम, पूर्ण पते पिता/पति का नाम सहित (2)	हस्ताक्षर (3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

* जो अनावश्यक हो उसे काटिये.

साक्षी

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पूर्ण पता .....

नियमावली

1. संस्था का नाम ..... होगा.

2. संस्था का कार्यालय ..... भ. नं. ..... मोहल्ले का नाम ..... तहसील ..... जिला ..... मध्यप्रदेश.

3. संस्था का कार्यक्षेत्र ..... मध्यप्रदेश होगा.
(जो ज्ञापन-पत्र में अंकित है वहीं लिखे)

.....

.....

(1) इन विनियमों में, यदि विषय या प्रसंग के अनुसार अन्यथा अभीष्ट न हो तो—

(क) पोलीटेक्निक से तात्पर्य है (नाम) ..... शासकीय पोलीटेक्निक;

(ख) समिति से तात्पर्य है, (नाम) ..... पोलीटेक्निक स्थानीय प्रबंधन समिति;

(ग) राज्य शासन से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन;

(घ) पोलीटेक्निक से तात्पर्य है, (नाम) .....

(ङ) कुलपति से तात्पर्य है (नाम) राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति;

(च) संचालक से तात्पर्य है, संचालक तकनीकी शिक्षा;

(छ) प्राचार्य से तात्पर्य है, संबंधित पोलीटेक्निक का प्राचार्य.

(2) समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :—

(1) सामान्य परिषद् — P-7/C

(2) प्रबंध समिति

(3) वित्त समिति.

समिति द्वारा सामान्य नीति निर्धारण एवं कार्य संचालन के कार्य उक्त संस्थाओं के माध्यम से किया जायेगा.

सामान्य परिषद् :

(1) समिति के कार्यकलापों का प्रबंधन सामान्य परिषद् के निर्देश एवं नियंत्रण में किया जायेगा. यह समिति की सर्वोच्च सभा होगी.

(2) सामान्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

क्रम (2)	पदा (3)	पद (4)
	संबंधित जिला पंचायत, जनपद पंचायत या नगर निगम के सदस्य, विधायक या सांसद में से राज्य शासन द्वारा नियुक्त व्यक्ति.	अध्यक्ष
	कलेक्टर या उसका प्रतिनिधि.	उपाध्यक्ष
	जहां पोलीटेक्निक स्थित है उस क्षेत्र का संसद सदस्य या उसका नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
	जहां पोलीटेक्निक स्थित है उस क्षेत्र का विधायक या उसका नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
	प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के उत्पाद का उपयोग करने वाले स्थानीय संगठन, उद्योग स्थानीय संस्थाओं तथा दानदाताओं के एक-एक प्रतिनिधि.	सदस्य
	अभिभावकों एवं पूर्व छात्रों के दो-दो प्रतिनिधि	सदस्य
	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग में से प्रत्येक उस संवर्ग का एक अभिभावक, जिसके कोई सदस्य अन्य श्रेणियों में न आये हों.	सदस्य
	एक महिला अभिभावक, यदि अन्य किसी श्रेणी में महिला न आई हो	सदस्य
	संबंधित पोलीटेक्निक के प्राचार्य	सदस्य

टीप.—क्रमांक 5, 6, 7 एवं 8 के अन्तर्गत नामजद किये जाने वाले प्रतिनिधि अध्यक्ष द्वारा नामजद किये जायेंगे.

(3) समिति की सामान्य परिषद् निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात् :—

(क) पोलीटेक्निक की सामान्य नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण;

(ख) पूर्व में निर्धारित नीतियों के क्रियान्वयन का समय-समय पर पुनरीक्षण;

(च) विभिन्न स्नातक शिक्षा पाठ्यक्रमों लघु अवधि तथा रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों आदि के लिये छात्रों द्वारा देय शुल्क दरों की संरचना तथा अन्य भुगतानों का निर्धारण;

(छ) राज्य शासन द्वारा प्रदत्त निधियों के अलावा निजी संस्थानों से अनुपूरक निधियों के अर्जन की विधियां खोजना;

(ज) समिति के वार्षिक वित्तीय अनुमान पर विचार करना, उन्हें अंगीकृत करना;

(झ) समिति के वार्षिक प्रतिवेदन, अंकेक्षित वार्षिक लेखा एवं स्थिति विवरण पर विचार करना और उन्हें अंगीकृत करना;

(ञ) प्रबंध समिति की अनुशंसा पर छात्रवृत्तियां, अध्येतावृत्तियां, पदकों, पारितोषकों तथा प्रमाण-पत्रों को संस्थित करना;

(ट) आगामी वर्ष के लिये संस्था के लेखा परीक्षण के लिये अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं उनके पारिश्रमिक का निर्धारण;

(ठ) यदि आवश्यक हो तो समिति के विनियमों में संशोधनों का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजना;

(ड) पोलीटेक्निक की किसी चल या अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण अथवा हस्तान्तरण स्वीकृति के लिये राज्य शासन को अनुशंसा प्रेषित करना.

(ब) सामान्य परिषद् के कार्य संचालन की प्रक्रिया :

(क) साधारणतः सामान्य परिषद् की बैठक साल में दो बार होगी. आवश्यकतानुसार परिषद् की विशेष बैठक भी बुलाई जा सकेगी;

(ख) सामान्य परिषद् की बैठक की सूचना में बैठक की तिथि, समय तथा स्थान स्पष्ट अंकित होंगे. बैठक की सूचना प्रत्येक सदस्य को पंजीकृत डाक से कम से कम इक्कीस दिन पहले प्रेषित हो जानी चाहिए, किन्तु किसी विशेष बैठक के संदर्भ में अध्यक्ष इस समयावधि को घटा भी सकेंगे;

(ग) परिषद् की किसी भी सभा के लिये अध्यक्ष सहित पांच सदस्यों की गणपूर्ति (कोरम) आवश्यक होगी परन्तु किसी भी स्थगित बैठक के लिये गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी;

(घ) परिषद् की प्रत्येक बैठक अध्यक्ष की अध्यक्षता में सम्पन्न होगी और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यह दायित्व निभायेंगे. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदस्यगण अपने बीच में से किसी एक का चुनाव केवल उस बैठक के लिये अध्यक्ष के रूप में करेंगे;

(ङ) अध्यक्ष सहित परिषद् के प्रत्येक सदस्य का एक-एक मत होगा. यदि किसी प्रकरण में दोनों पक्षों को बराबर मत प्राप्त होते हैं तो उस स्थिति में अध्यक्ष का एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा;

(च) प्रत्येक बैठक के कार्य विवरण की प्रतिलिपि यथाशीघ्र संचालक तकनीकी शिक्षा को और अग्रेषित की जाएगी;

सदस्यों की पंजी :

समिति की सामान्य परिषद् द्वारा पोलीटेक्निकों में अपने सदस्यों की एक पंजी रखी जाएगी और समिति के अध्यक्ष सहित प्रत्येक सदस्य उसमें अपने हस्ताक्षर करेंगे. पंजी में प्रत्येक सदस्य का व्यवसाय एवं पता अंकित रहेगा. किसी भी व्यक्ति को पंजी में पूर्वोक्त प्रकार से हस्ताक्षर किये बिना अपनी सदस्यता के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों के उपयोग हेतु योग्य नहीं माना जायेगा;

सामान्य परिषद् के किसी सदस्य के पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसे समिति के सचिव को सूचित करना होगा. यदि वह अपना नया पता सूचित नहीं कर पाता तो उसका पूर्व पता ही उस पंजी में मान्य होगा;

(घ) सामान्य परिषद् के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा तथा प्रत्येक मनोनीत सदस्य को पुनर्मनोनयन की पात्रता होगी.

प्रबंध समिति :

1. सामान्य परिषद् के अतिरिक्त समिति के कार्यकलापों का समुचित प्रबंधन, प्रबंध समिति द्वारा किया जायेगा. प्रबंध समिति का गठन निम्नानुसार होगा :—

(1) सामान्य परिषद् का अध्यक्ष ही प्रबंध समिति का भी अध्यक्ष होगा; (P. S/c)

(2) जिला मुख्यालय में स्थित पोलीटेक्निक में जिले का कलेक्टर एवं अन्य पोलीटेक्निकों में संभागीय तकनीकी शिक्षा द्वारा मनोनीत शिक्षाविद् उपाध्यक्ष होंगे;

(3) [illegible] विभाग के स्थानीय कार्यालय का प्रमुख, पोलीटेक्निक के दो शिक्षक मनोनीत किए जावेंगे, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा मनोनीत सदस्य, जो प्राचार्य स्तर से कम का न हो, एक सदस्य, सामान्य परिषद् का अशासकीय संगठन सदस्य दानदाताओं एवं स्थानीय औद्योगिक संगठन का प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होंगे;

(4) पोलीटेक्निक के प्राचार्य समिति के सदस्य-सचिव होंगे.

मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि के लिये होगा तथा इन व्यक्तियों को एक और कार्यकाल के लिये पुनर्मनोनयन की पात्रता होगी.

प्रबंध समिति के कार्य :

2. प्रबंध समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे, यथा :—

(क) संस्था के उपनियमों के अनुसार शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक कर्मचारियों में [illegible] लागू करना और [illegible] किन्तु संस्था में कार्यरत शासकीय सेवकों के लिये राज्य शासन के नियम ही लागू रहेंगे;

(ख) पोलीटेक्निक के वित्तीय प्रबंध का नियंत्रण एवं निरीक्षण करना तथा व्यय के निर्गमन के लिये उन नियमों का अनुमोदन करना;

(ग) प्राचार्य को ऐसे वित्तीय अधिकार प्रदान करना जो समिति संस्था की निधियों के संदर्भ में उपयुक्त समझे;

(घ) संस्था की छात्रवृत्तियों, अध्येतावृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पदकों, पारितोषकों एवं प्रमाण-पत्रों की सामान्य परिषद् को अनुशंसा करना;

(ङ) दान तथा विन्यास को स्वीकार करना;

(च) सामान्य परिषद् के कार्य संपादन में सहायक होना, एवं

(छ) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अन्य आवश्यक कार्यों का संपादन.

प्रबंध समिति की बैठक आवश्यकतानुसार होगी किन्तु तीन माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी.

वित्त समिति :

1. वित्त समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :—

(1)	(2)	(3)
(1)	प्राचार्य	अध्यक्ष
(2)	वाणिज्यिक/वित्तीय कार्य में अनुभवी एक व्यक्ति जिसे प्रबंध समिति द्वारा दो वर्ष के लिये सदस्य मनोनीत किया जावेगा.	सदस्य
(3)	चक्रानुक्रम से दो वर्ष के लिये प्राचार्य द्वारा मनोनीत पोलीटेक्निक के दो वरिष्ठ शिक्षक	सदस्य
(4)	पोलीटेक्निक, जिस जिले में स्थित है उसका कोषालय अधिकारी या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति जो उप कोषालय अधिकारी के पद से नीचे का न हो.	सदस्य

2. वित्त समिति के कार्य.—समिति के सभी वित्तीय प्रबंधन से संबंधित प्रकरणों में वित्त समिति सलाहकार होगी, विशेषतः निम्नलिखित कार्यों में, यथा :—

(1) प्रबंध समिति के अनुमोदनार्थ समिति की निधि के व्यय के लिये उपनियमों का प्रारूप बनाना;

(2) वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (वार्षिक बजट) बनाना;

(3) यह सुनिश्चित करना कि वार्षिक बजट (वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन) आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पूर्व सक्षम अधिकारी/निकाय द्वारा विधिवत् अनुमोदित है;

(4) वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय पर नियंत्रण रखना एवं यदि आवश्यक हो तो बजट में संशोधन अनुशंसित करना;

(5) लेखा, बहीखातों और तत्संबंधी खातों का अपेक्षित और समुचित रख-रखाव कराना;

(6) वार्षिक लेखा-जोखा तैयार कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित करना एवं उसे अंकेक्षकों को अग्रेषित करना;

(7) अंकेक्षित प्रतिवेदनों पर विचार कर टिप्पणियां अंकित करना एवं प्रबंध समिति से अनुमोदित कराना;

(8) सामान्य परिषद् के विचारार्थ अंकेक्षकों का पैनल प्रस्तावित करना, एवं

(9) ऐसे सभी प्रस्तावों का परीक्षण व अनुशंसा जो पद रचना, पूंजी एवं अन्य व्यय की स्वीकृति से संबंधित हों.

3. निधि.—निम्नलिखित संस्था की निधि के भाग होंगे :—

(क) सामान्य शुल्क एवं समिति द्वारा वसूल की जाने वाली अन्य राशियां;

(ख) व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से अनुदान, उपहार, दान, सहायता राशि एवं वसीयत के रूप में प्राप्त सभी राशियां एवं अन्य सभी प्राप्तियां. संस्था की निधि भारतीय रिजर्व बैंक के एक्ट, 1934 (क्र. 2, सन् 1934) में परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में रखी जावेगी तथा इसका व्यय सामान्य परिषद् द्वारा अनुमोदित बजट तथा प्रबंध समिति द्वारा इसके लिये वित्त समिति की अनुशंसा पर बनाए गये उपनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार [illegible] के क्रियान्वयन के लिये किया जायेगा.

राज्य शासन से पोलीटेक्निक को प्राप्त होने वाली सभी प्राप्तियां, ऋणों से भिन्न, रोकड़ संधारण तथा अंकेक्षण शासकीय नियमों से शासित होंगी. संस्था की निधि का लेखा परीक्षण सामान्य परिषद् के द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अंकेक्षकों द्वारा प्रतिवर्ष किया जायगा. पोलीटेक्निक को राज्य शासन से प्राप्त सभी राशियों की व्यय व्यवस्था एवं रोकड़ संधारण तथा अंकेक्षण शासकीय नियमानुसार होंगे.

समिति की निधि का उपयोग पोलीटेक्निक के विकास के लिये किया जायेगा न कि स्टॉफ वेतन, निर्वाचन, स्थापना जैसी गतिविधियों के लिये तथा इसके लिये नियम बनाये जायेंगे.

समिति द्वारा सतत् शिक्षा कार्यक्रम, लघु अवधि तथा रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों आदि के लिये निर्धारित शिक्षण शुल्क में वृद्धि की जा सकेगी तथा समिति नये शुल्क भी लगा सकेगी और आय वृद्धि के अन्य उपाय भी कर सकेगी.

जो शासकीय पोलीटेक्निक संस्थाएं स्वशासी घोषित की गई हैं उनमें अकादमिक परिषद् और अध्ययन मंडल भी होंगे. अकादमिक परिषद् एवं अध्ययन मंडल पोलीटेक्निक के अकादमिक कार्य-कलापों में स्वायत्तता एवं समुचित प्रबंध को सुनिश्चित करेंगे. इनकी सदस्यता शिक्षा शास्त्रियों एवं विशेषज्ञों तक ही सीमित रहेगी.

<u>अकादमिक परिषद्</u>।

(अ) संरचना :—

(1)	(2)	(3)
(1)	प्राचार्य	अध्यक्ष
(2)	पोलीटेक्निक संस्थाओं के सभी विभागों के वरिष्ठतम शिक्षक	सदस्य
(3)	शैक्षणिक स्टाफ के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार शिक्षक, जिनका मनोनयन प्राचार्य द्वारा तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग में सेवा की वरिष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम में किया जायेगा.	सदस्य
(4)	प्रबंध समिति द्वारा मनोनीत पोलीटेक्निक संस्था से बाहर के कम से कम चार विशेषज्ञ, जो उद्योग, वाणिज्य, विधि, शिक्षा, चिकित्सा, अभियांत्रिकी आदि क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हों.	सदस्य
(5)	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा मनोनीत तीन प्रतिनिधि	सदस्य
(6)	प्राचार्य द्वारा मनोनीत एक शिक्षक	सदस्य-सचिव.

(ब) सदस्यों की पदावधि --मनोनीत सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी

(स) बैठकें.—प्राचार्य वर्ष में कम से कम एक बार अकादमिक परिषद् की बैठक बुलाएगा.

(द) कृत्य.—अकादमिक परिषद् की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, यथा :—

(1) अध्ययन मंडलों द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों का परीक्षण करना और यथावत् अथवा किन्हीं परिवर्तनों के साथ अनुमोदन करना किन्तु जहां अकादमिक परिषद् किसी प्रस्ताव से असहमत हो तो ऐसे प्रस्तावों को पुनर्विचार के लिये संबंधित अध्ययन मंडल को लौटाने या कारण बताते हुए, निरस्त करने का अधिकार होगा;

(2) पोलीटेक्निकों में अध्ययन के विभिन्न कार्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश से संबंधित उप नियम बनाना;

(3) परीक्षाओं के संचालन के लिये उप नियम बनाना. ?

(4) पोलीटेक्निक के विद्यार्थियों के शिक्षण की गुणवत्ता, मूल्यांकन तथा छात्रों के पाठ्येतर कार्यक्रमों में सुधार प्रक्रिया के संबंध में प्रस्ताव करना;

(5) खेलकूद तथा पाठ्येतर गतिविधियों, छात्रावास तथा खेल मैदानों के उचित रख-रखाव एवं संचालन के लिये उप-नियम बनाना;

(6) प्रबंध समिति को अध्ययन के नये कार्यक्रमों के प्रस्ताव लागू करने के लिये अनुशंसा प्रेषित करना;

(7) प्रबंध समिति को छात्रवृत्तियां, अध्येतावृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पारितोषकों एवं पदकों की अनुशंसा करना एवं उन्हें प्रदान करने के लिये उपनियम बनाना;

(8) समिति को अकादमिक कार्यकलापों के विषय में परामर्श देना, एवं

(9) कार्य समिति द्वारा प्रदत्त अन्य कार्यों का संपादन करना.

अध्ययन मण्डल :

(अ) संरचना :

(1)	(2)	(3)
(1)	संबंधित विभाग का वरिष्ठतम शिक्षक	अध्यक्ष
(2)	विभाग के प्रत्येक विशेषज्ञता का एक शिक्षक .	सदस्य
(3)	अकादमिक परिषद् द्वारा मनोनीत विषय के दो विशेषज्ञ, जो पोली. से बाहर के हों	सदस्य
(4)	प्राचार्य द्वारा अनुशंसित छः व्यक्तियों के पैनल में से संचालक तकनीकी शिक्षा द्वारा मनोनीत एक विशेषज्ञ. यह पैनल संबंधित पोलीटेक्निक के प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा.	सदस्य
(5)	जब भी अध्ययन के विशिष्ट विषयों का निर्धारण किया जाना हो, अध्यक्ष द्वारा प्राचार्य की सहमति से नामांकित पोलीटेक्निक के बाहर के विशेषज्ञ.	सदस्य
(6)	संकाय के अन्य शिक्षक वृन्द	सदस्य

(ब) मनोनीत सदस्यों की पदावधि.—मनोनीत सदस्यों की पदावधि दो वर्ष की होगी.

(स) बैठकें.—विभिन्न विभागों के अध्ययन मण्डलों की बैठकों का कार्यक्रम पोली. के प्राचार्य द्वारा निर्धारित किया जायेगा. बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी की जा सकेगी, परन्तु वर्ष में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी.

(द) कृत्य.—पोली. के प्रत्येक विभाग के अध्ययन मण्डल के नीचे लिखे अनुसार कृत्य होंगे :—

(1) अकादमिक परिषद् को विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने के प्रयोजन से पोलीटेक्निक के उद्देश्यों एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए, विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों का निर्धारण;

(2) नवोन्मेषकारी शिक्षण पद्धतियां एवं मूल्यांकन प्रविधियां प्रस्तावित करना;

(3) अकादमिक परिषद् को परीक्षकों की नियुक्ति के लिये नामों के पैनल प्रस्तावित करना, एवं

(4) शोध, अध्ययन, विस्तार तथा/विभाग पोलीटेक्निक की अन्य अकादमिक गतिविधियों का समन्वयन.

सामान्य

(क) समिति द्वारा राज्य शासन की स्वीकृति के बिना कोई नया पद निर्मित नहीं किया जायेगा और न ही समिति अपने कार्य के लिये पृथक् से स्टॉफ नियुक्त करेगी ;

(ख) समिति अपने कार्य संचालन के लिये पॉलीटेक्निक के किसी कर्मचारी को ही समिति की लिपिक से कार्य सम्पादन करा सकेगी ;

(ग) पॉलीटेक्निक के प्राचार्य एवं पॉलीटेक्निक के सभी शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्तियां राज्य शासन द्वारा शासकीय पॉलीटेक्निकों के विद्यमान स्टॉफ में से वर्तमान नियमों के अनुसार की जायेंगी किन्तु भविष्य में ये अधिकार उन समितियों को दिये जायेंगे, जिनकी उपलब्धियां संतोषजनक होंगी, परन्तु शासन की अनुमति के बिना किसी नये पद का निर्माण नहीं किया जा सकेगा ;

(घ) मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अतिरिक्त यदि शासन चाहेगा तो समिति की जांच करा सकेगा । ऐसे निर्देश दे सकेगा जैसा कि शासन उपयुक्त समझता है. [illegible]

पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी.—अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 14 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जायेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था का परीक्षित लेखा भेजेगी.

संशोधन.—संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा. यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकारी पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा.

विघटन.—संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जायेगा. विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जायेगी. उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी.

सम्पत्ति.—संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी. संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थायी) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी.

बैंक खाता.—संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में रखी जायेगी एवं समय-समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी.

पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना.—संस्था की पंजीकृत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं, संस्था की बैठक बुलाने का अधिकारी होगा. साथ ही वह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा.

विवाद.—संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को उसे साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा. यदि इस निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह उसे रजिस्ट्रार को अंतिम विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे.

रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा. संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा.

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1973 (संख्या 44 सन् 1973) के प्रावधानों के अतिरिक्त समिति के कार्य कलापों के पुनरावलोकन के लिये राज्य शासन आवश्यक समझने पर किसी एक या एकाधिक व्यक्तियों की नियुक्ति जांच करने के लिये कर सकता है और समिति ऐसे निर्देश का पालन करने के लिये बाध्य होगी. महत्वपूर्ण नीति और कार्यक्रमों के संबंध में राज्य शासन आवश्यकतानुसार संबंधित समिति को निर्देश भी दे सकेगा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001. [illegible]